(3)

प्रकरण संख्या : 2/2023
ओमप्रकाश गुर्जर बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक : 16.05.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	संजय कुमार गौरा, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	2/2023
दायर दिनांक	:	01.02.2023
निर्णय दिनांक	:	16.05.2023

उनवान

ओमप्रकाश गुर्जर पुत्र जयसिंह जाति गुर्जर, निवासी खुरी खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खुरी खुर्द तहसील दौसा में आराजी खसरा नम्बर 160 लगायत 171 कुल किता 12 कुल रकबा 6.69 है॰ स्थित है, जिसकी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी आशाराम पुत्र जयसिंह हिस्सा 1/36, कैलाश पुत्र भगवान्या हिस्सा 1/12, केशन्ता पत्नी स्व॰ जयसिंह हिस्सा 1/36, कौशल्या पत्नी जयसिंह हिस्सा 1/24, गिर्राज पुत्र भगवान्या हिस्सा 1/12, जगदीशी पुत्री हरसहाय हिस्सा 1/12, प्रकाश पुत्र जयसिंह हिस्सा 1/36, बद्री पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1/8, भरतासिंह पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/8, रामजीलाल पुत्र चैनाराम हिस्सा 1/8, रामसागर पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1/8, सुमेर पुत्र भगवाना हिस्सा 1/12, हंसराज पुत्र जयसिंह हिस्सा 1/24 दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार उक्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/36 है। इसी प्रकार ग्राम खुरी खुर्द तहसील दौसा में आराजी खसरा नम्बर 1037/1599, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1284/1489, 1294, 1295, 475, 476, 477, 533, 534, 535, 905/1598, 915, 918, 919, 920, 922, 923, 924, 925, 926/1583, 926/1590 कुल किता 26 कुल रकवा 10.83 है॰ स्थित है, जिसकी वर्तमान खातेदारी आशाराम पुत्र जयसिंह हिस्सा 1/18, केशन्ता पत्नी स्व॰ जयसिंह हिस्सा 1/18, कौशल्या देवी पत्नी रामेश्वर हिस्सा 1/16, चैनाराम पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1/8, पप्पू पुत्र रामकरण हिस्सा 1/6, प्रकाश पुत्र जयसिंह हिस्सा 1/18, वद्री पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1/8, भरतसिंह पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/16, रामसागर पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1/8, लछमा पत्नी रामकरण हिस्सा 1/6 दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार उक्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/18 है। उपरोक्त आराजीयात की खातेदारी में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश की जगह प्रकाश दर्ज हो रहा है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश है। प्रार्थी के शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में ओमप्रकाश पुत्र जयसिंह दर्ज है। ओमप्रकाश व प्रकाश दोनों एक ही नाम के व्यक्ति है तथा प्रार्थी को ओमप्रकाश व प्रकाश नाम से जाना जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम खुरी खुर्द में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 32 पुराना 34 व खाता संख्या नया 50 पुराना 50 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र जयसिंह अंकित हो रहा है उसे हज्फ किया जाकर उसके स्थान पर

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

...in/Owner_wise/Edharti_A4_Nakal_villag...

ओमप्रकाश पुत्र जयसिंह अंकित कर दुरुस्त करने हेतु तहसीलदार दौसा को आदेश फरमाया जावे व इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती फरमायी जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार दौसा से जवाब चाहा गया। तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खुरी खुर्द की जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 (स्थायी सन् 2019) के खाता संख्या 50 और 32 में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र जयसिंह गुर्जर दर्ज है। मजमेआम में पूछताछ करने पर प्रकाश पुत्र जयसिंह एवं ओमप्रकाश पुत्र जयसिंह एक ही व्यक्ति होना बताया गया।

प्रकरण में बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ग्राम खुरी खुर्द स्थित अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम प्रकाश पुत्र जयसिंह के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र जयसिंह अंकित करवाना चाहता है, जिसे तहसीलदार दौसा ने भी अपनी रिपोर्ट में उचित माना है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात् यथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्नात्तक अंकतालिका, आधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र जयसिंह दर्ज है। प्रार्थी ने अपने नाम की शुद्धि बाबत् सहमति के रूप में सहखातेदार आशाराम पुत्र जयसिंह जाति गुर्जर एवं केशन्ता देवी पत्नी जयसिंह जाति गुर्जर का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः तहसीलदार दौसा की रिपोर्ट, उपलब्ध दस्तावेजात् एवं सहखातेदारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम खुरी खुर्द तहसील दौसा स्थित खाता संख्या नया 32 एवं 50 से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र जयसिंह के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र जयसिंह दर्ज किया जावे। तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय कैम्प स्थल ग्राम पंचायत खुरी कलाँ में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)